



छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई, 2025 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई, 2025 (आषाढ़ 27, 1947)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

- (1) श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार के कल्याण पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या 2 (निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल) पटल पर रखेंगे।
- (2) श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल एवं वाणिज्यिक पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या-4 पटल पर रखेंगे।
- (3) श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2025 का प्रतिवेदन, संख्या 3 पटल पर रखेंगे।
- (4) श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2022-23 (01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023) पटल पर रखेंगे।
- (5) श्री रामविचार नेताम, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 26 सन् 1995) की धारा 15 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 (01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024) पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

- (1) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, बिलासपुर—तखतपुर—मुंगेली—पोड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क क्रमांक 130 ए अत्यंत जर्जर होने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (2) श्री दिलीप लहरिया, सदस्य, जनपद पंचायत मस्तुरी में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में अनियमितता किये जाने की ओर उपमुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (3) श्री राजेश मूणत, सदस्य, साईंस कॉलेज रायपुर में आयोजित बोरे बासी कार्यक्रम में अनियमितता किये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (4) श्री संदीप साहू, सदस्य, जिला बलौदाबाजार—भाटापारा के अंतर्गत खनिजों का अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (5) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, संदीप साहू, सदस्य, प्रदेश में सहकारी सोसायटियों में रासायनिक उर्वरक उपलब्ध नहीं होने की ओर कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (6) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, सदस्य, धमतरी जिले के कुरुद के ग्राम बंजारी बगौद में स्थित मेगा फूडपार्क में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (7) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश में समस्त राजस्व कार्यालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा नहीं दे पाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (8) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य, प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं में छात्रों को धर्म विशेष के आधार पर कार्यक्रम व धर्म के प्रचार—प्रसार के लिये बाध्य किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (9) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, रिकेश सेन, सदस्य, प्रदेश के सहकारी बैंकों में कूटरचना कर कृषकों से फर्जीवाड़ा किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (10) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, रिकेश सेन, सदस्य, प्रदेश में वन्यजीवों की मौतों में निरंतर वृद्धि होने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (11) डॉ. चरणदास महंत, श्री विक्रम मंडावी, श्री जनक ध्रुव, सदस्य, जिला सरगुजा अंतर्गत पहाड़ी कोरवा आदिवासी द्वारा आत्महत्या किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (12) श्री इन्द्रशाह मंडावी, सदस्य, प्रदेश में शासकीय चिकित्सकों द्वारा निजी अस्पतालों में प्रेक्टिस किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (13) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, के.एस.के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा लंबित जल कर की राशि शासन को जमा नहीं किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

- (14) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, जांजगीर-चांपा जिले के कुश्ती स्टेडियम में टीन शेड एवं चबूतरा निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (15) श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य, निजी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से महिला की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।
- (16) श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य, खनिज विभाग की लापरवाही से छोटेडोंगर-आमदाई के खेतों का बंजर होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।
- (17) श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य, जिला दंतेवाड़ा के एकलव्य आश्रम में नाबालिग छात्रा गर्भवती होने की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।
- (18) श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य, जिला धमतरी में रेत खदानों का अवैध उत्खनन होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।
- (19) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, जांजगीर-चांपा जिले में की गई युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में शासन के दिशा-निर्देशों की अवहेलना किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (20) डॉ. चरण दास महंत, श्री रिकेश सेन, सदस्य, तेन्दूपत्ता संग्रहण में कुप्रबंधन के कारण संग्राहकों को आर्थिक क्षति होने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (21) डॉ. चरण दास महंत, श्री रिकेश सेन, सदस्य, प्रदेश में कृषि साख सहकारिता संस्थाओं में व्याप्त अनियमितता की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (22) श्री विक्रम मण्डावी, सदस्य, प्रदेश में युवतियों एवं महिलाओं की तस्करी होने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (23) सर्वश्री द्वारिकाधीश यादव, कुंवरसिंह निषाद, जनक ध्रुव, सदस्य, प्रदेश में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के क्रियान्वयन में अनियमितता किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (24) श्री विक्रम मण्डावी, श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य, प्रदेश में स्कूलों के शिक्षकों की कमी एवं भवनों की स्थिति जर्जर होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (25) श्री बालेश्वर साहू, सदस्य, जिला जांजगीर-चांपा में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में अनियमितता किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (26) श्री उमेश पटेल, सदस्य, प्रदेश में युक्तियुक्तकरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (27) श्री संदीप साहू, सदस्य, प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें/पाठ्य सामग्रियों का वितरण नहीं होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (28) श्री संदीप साहू, सदस्य, प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों में गुणवत्तहीन चावल का वितरण किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (29) श्री इन्द्र साव, सदस्य, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा क्षेत्रांतर्गत संचालित उद्योगों एवं कारखानों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

- (30) श्री इन्द्र साव, सदस्य, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा क्षेत्रांतर्गत संचालित अडानी अंबुजा सीमेंट प्लांट रवान द्वारा औद्योगिक नीति का पालन नहीं किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (31) श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य, विधान सभा क्षेत्र बस्तर में पेयजल की संकट होने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (32) श्री देवेन्द्र यादव, सदस्य, प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (33) श्री दलेश्वर साहू, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सदस्य, जिला राजनांदगांव के नगर पंचायत डोगरगांव में छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 का उल्लंघन किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (34) श्री कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य, बालोद जिले में सोलर लाईट स्थापना कार्य के दौरान विद्युत प्रवाहित तार से नाबालिग मजदूर की मृत्यु होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (35) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, श्री भूपेश बघेल, सदस्य, जिला बेमेतरा अंतर्गत विकासखण्ड नवागढ़ में 11 वर्षीय बालिका की निर्मम हत्या की जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (36) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सदस्य, आशा हॉस्पिटल छुईखदान में भर्ती देवपुरा गंडई निवासी गर्भवती महिला की मौत होने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।
- (37) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य, डोंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के बरनारा व्यपवर्तन पोषण नहर निर्माण कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।
- (38) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सदस्य, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई अंतर्गत कोइलार नाला से पैलीमेटा नहर लाईनिंग कार्य में गुणवत्ताविहीन सामग्री उपयोग किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।
- (39) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, सदस्य, मिनीमाता हसदेव बांगो बांध से प्रभावित एवं विस्थापित परिवारों को जलाशय में स्पष्ट नीति के तहत मत्स्य पालन में प्राथमिकता देने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (40) श्री भोलाराम साहू, सदस्य, न्यू लुक बायोफ्यूल केमिकल कंपनी को जलाशय से कंपनी तक पाइप लाईन बिछाने हेतु सड़क खोदने की जांच किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (41) श्री भोलाराम साहू, सदस्य, डोंगरगांव में बगदई पुल से लेकर मोहड़ चौक तक सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (42) श्री सुशांत शुक्ला, सदस्य, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत अनियमितता किये जाने की ओर कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

- (43) श्री सुशांत शुक्ला, सदस्य, मुक्तांजली 1099 एंबुलेंस योजना में अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मृत्यु के फर्जी बिल लगाकर अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (44) श्री बालेश्वर साहू, सदस्य, शासकीय विद्यालयों की पाठ्य पुस्तकों को कबाड़ में बेचे जाने के संबंध में मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (45) श्री दिलीप लहरिया, सदस्य, मस्तुरी विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख सड़कें अत्यंत जर्जर होने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (46) श्री दिलीप लहरिया, सदस्य, मस्तुरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न गावों में विद्युत की समस्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (47) श्री दिलीप लहरिया, सदस्य, बिलासपुर जिले में अवैध शराब की बिक्री किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (48) श्री दिलीप लहरिया, सदस्य, बिलासपुर जिले में वनों के वृक्षों की अवैध कटाई किये जाने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (49) श्री दिलीप लहरिया, सदस्य, मस्तुरी विधान सभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (50) श्री भूपेश बघेल, सदस्य, प्रदेश में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा आर्थिक अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (51) श्री इंद्र साव, सदस्य, जिला बलौदाबाजार-भाटापार के ग्रामीण क्षेत्रों में अद्योषित बिजली कटौती के संबंध में मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (52) श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य, सरायपाली विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति लंबित होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।
- (53) श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य, सरायपाली विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा बिजली विभाग की राशि भुगतान में अनियमितता किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।
- (54) सर्वश्री कुंवर सिंह निषाद, भोलाराम साहू सदस्य, विकासखण्ड छुरिया की ग्राम पंचायत सड़क चिरचारी में सूचना पटल गिरने से 5 वर्षीय बालक की मृत्यु होने की ओर उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (55) श्री चैतराम अटामी, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े सदस्य, दंतेवाड़ा जिले में शासकीय कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति समाप्ति उपरांत भी अपने मूल कार्यालय में उपस्थिति नहीं देने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (56) श्री चैतराम अटामी, सदस्य, एन.एम.डी.सी. लिमिटेड एवं आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया लिमिटेड किरंदुल/बचेली द्वारा वेस्ट मटेरियल को अवैध डंपिंग किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

- (57) श्री चैतराम अटामी, सदस्य, दन्तेवाड़ा की शंखनी एवं डंकनी नदी का जल प्रदूषित होने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (58) श्री चैतराम अटामी, सदस्य, किरंदुल एवं बचेली नगर में पेयजल की समस्या होने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (59) श्री इन्द्र साव, सदस्य, प्रदेश के जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों एवं उपकरणों का अभाव होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (60) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तखतपुर की सोनोग्राफी मशीन बंद होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (61) श्री धरम लाल कौशिक, सदस्य, तेंदूपत्ता संग्रहण बोनस राशि वितरण में अनियमितता किये जाने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (62) श्री धरम लाल कौशिक, सदस्य, कांकेर जिला अंतर्गत वन अधिकार पत्र शून्य घोषित उपरांत भी विभाग द्वारा बेदखली की कार्यवाही नहीं किये जाने की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (63) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम अमरताल स्थित संग्रहण केन्द्रों में उचित रख-रखाव के अभाव में धान खराब होने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (64) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सदस्य, प्रदेश में संचालित शासकीय शालाओं में शिक्षा गुणवत्ता के लिये विषय बंधन लागू करने और पूर्व संबंधित और विषयवार राजपत्र को विलोपित करने के निर्देश का पालन नहीं किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।
- (65) श्री सुशांत शुक्ला, सदस्य, डिप्लोमाधारी पात्र डीएड अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति नहीं दिये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (66) श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य, महासमुन्द जिले के अंतर्गत ग्राम खैरझिटी स्थित करणी कृपा स्टील एवं पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश का पालन नहीं किये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (67) श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य, प्रदेश में पुलिस के उदासिन रवैये से जातीय उत्पीड़न की घटनाओं में वृद्धि होने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगी।
- (68) श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य, छत्तीसगढ़ बीज निगम में पंजीयन, ग्रेडिंग और भुगतान में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।
- (69) श्री फूलसिंह राठिया, सदस्य, नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा अचल सम्पत्तियों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड की कार्यवाही नहीं किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (70) श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य, पशुपालन विभाग में भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

- (71) श्री जनक ध्रुव, सदस्य, गरियाबंद जेल में निरूद्ध एक व्यक्ति एवं जिला बेमेतरा ग्राम अमलीडीह निवासी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत होने की ओर उप मुख्यमंत्री (जेल) का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (72) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य, डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मनगटा एवं जोरातराई में भू-माफियों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।
- (73) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश में मिशन अमृत सरोवर योजनान्तर्गत अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (74) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य, प्रदेश में मितानिनों को प्रशिक्षण नहीं दिये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (75) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश में मानव तस्करी की घटनायें होने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (76) श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य, कोरगांव वन क्षेत्र में सागौन पेड़ों का अवैध कटाई होने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।
- (77) श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य, प्रदेश में शासकीय स्कूलों की जर्जर स्थिति होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।
- (78) श्री रामकुमार यादव, सदस्य, चन्द्रपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम केकराभाटा एवं कबारी पाली के कृषकों को मुआवजा प्रदान नहीं किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (79) श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य, नगर पंचायत घरघोड़ा के निर्माण कार्यों में अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगी।
- (80) श्री विक्रम मंडावी, सदस्य, शासकीय संविदा एन.एच.एम. द्वारा निजी चिकित्सालय में प्रेक्टिस करने के संबंध में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (81) श्री बालेश्वर साहू, सदस्य, सक्ती जिले के अंतर्गत नगर पंचायत डभरा में गुणवत्ता विहीन गौरव पथ निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन) का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (82) श्री उमेश पटेल, सदस्य, रायगढ़ जिले में राशन दुकानों में गुणवत्ताविहीन चावल का वितरण किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (83) श्री राजेश अग्रवाल, सदस्य, सरगुजा जिले के वनांचल क्षेत्रों में मोबाईल नेटवर्क सुविधा नहीं होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (84) श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य, बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में रीपा के तहत निर्मित भवन, मशीनों व अन्य संसाधनों के उपयोग के संबंध में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

- (85) श्री देवेन्द्र यादव, सदस्य, व्यापम द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के संबंध में उप मुख्यमंत्री (तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार) का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (86) श्री देवेन्द्र यादव, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर में प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक भर्ती के संबंध में मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (87) श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य, जिला अस्पताल दुर्ग में चिकित्सकों की ईलाज में लापरवाही किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (88) श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य, जिला राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज में आत्महत्या के संबंध में चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (89) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य, कोटवार सेवा भूमि में अवैध निर्माण एवं व्यावसायिक परिसर का निर्माण किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (90) सर्वश्री देवेन्द्र यादव, इन्द्र साव, सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनधारी के संबंध में वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (91) श्रीमती भावना बोहरा, सदस्य, युक्तियुक्तकरण के तहत किये गये शिक्षकों की पदस्थापना के संबंध में मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।
- (92) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के अस्पताल एवं डिस्पेंसरी में दवाई खरीदी में अनियमितता की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (93) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, सदस्य, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य कल्याण मण्डल में निर्माण कर्मकारहेतु मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केन्द्र योजना का लाभ श्रमिकों को नहीं मिलने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (94) श्री सुशांत शुक्ला, सदस्य, प्रदेश में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता कार्यक्रम अंतर्गत पी. एम. यू. भर्ती में अनियमितता किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (95) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, प्रधानमंत्री आवास निर्माण के काम करने वाले मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं होने की ओर उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (96) श्री अटल श्रीवास्तव, सदस्य प्रदेश में स्थापित उद्योगों एवं व्यापारिक संस्थाओं द्वारा जलकर की राशि जमा नहीं किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (97) श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य, जिला बेमेतरा के विकासखण्ड बेरला अंतर्गत ग्राम सोंढ़ से पंतोरा सड़क निर्माण की अधिग्रहित भूमि का मुआवजा नहीं मिलने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।
- (98) सुश्री लता उसेंडी, सदस्य, छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी बोरियाकला की अधिकृत सड़क मार्ग में अन्य निजी बिल्डर द्वारा अनाधिकृत तरीके से मार्ग पर भारी वाहनों का संचालन किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

- (99) सुश्री लता उसेंडी, सदस्य, छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी बोरियाकला के समीप संचालित कांक्रीट मिक्चर के कारण कॉलोनी के रहवासियों को हो रही परेशानियों के संबंध में आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।
- (100) श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य, गरियाबंद जिले के सिकासेर जलाशय से कोडार जलाशय महासमुन्द तक लिंक नहर निर्माण में अनियमितता की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (101) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य, पी. डी. एस. चावल की अवैध तरीके से खरीदी किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।
- (102) श्री ओंकार साहू, सदस्य, प्रदेश में रेत माफियाओं द्वारा अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (103) श्री ओंकार साहू, सदस्य, कांकेर एवं कोंडागांव जिले के वनमंडलों में निर्माण कार्यों में उपयोगिता गौण खनिजों के रॉयल्टी में अनियमितता किये जाने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (104) श्री अटल श्रीवास्तव, सदस्य, बिलासपुर जिले अंतर्गत ग्राम पहन्दा में निर्मित एनीकट टूट कर बह जाने से किसानों को सिंचाई की गंभीर समस्या होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (105) श्री भूपेश बघेल, सदस्य, कुनकुरी नगर पंचायत अंतर्गत छठ घाट एवं डैम सफाई कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (106) सर्वश्री इन्द्र शाह मंडावी, जनक ध्रुव, सदस्य, विकासखण्ड कांसाबेल अंतर्गत ग्राम बगिया स्थित आदिवासी छात्रावास में 9 वर्षीय छात्रा की सर्पदंश से मृत्यु होने की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (107) श्री भूपेश बघेल, सदस्य, दुर्ग जिले के ग्राम पाटन के शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के संचालको/दुकानदारों को खाद्यान्न वितरण की कमीशन राशि का भुगतान नहीं किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (108) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, रायपुर-बिलासपुर मार्ग पर धनेली एवं बिलासपुर के मटियारी में स्थित ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर में अनियमितता किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (109) श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य, समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का उठाव करने से मिलींग का कार्य तथा चावल का परिदान करने के संबंध में सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

- (1) श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 17 सन् 2025) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।
- (2) श्री ओ.पी. चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 21 सन् 2025) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।
- (3) श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़ पेंशन निधि विधेयक, 2025 (क्रमांक 23 सन् 2025) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।
- (4) श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड विधेयक, 2025 (क्रमांक 24 सन् 2025) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।
- (5) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 25 सन् 2025) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।
- (6) श्री ओ.पी. चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 (क्रमांक 26 सन् 2025) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।
- (7) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 27 सन् 2025) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

निर्धारित समय

30 मिनट (8)

श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि— छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 17 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

30 मिनट (9)

श्री ओ.पी. चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि— छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 19 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

30 मिनट (10)

श्री ओ.पी. चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि— छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 21 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

निर्धारित समय

- 1 घंटा (11) श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि— छत्तीसगढ़ पेंशन निधि विधेयक, 2025 (क्रमांक 23 सन् 2025) पर विचार किया जाये।
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।
- 1 घंटा (12) श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि— छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड विधेयक, 2025 (क्रमांक 24 सन् 2025) पर विचार किया जाये।
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।
- 30 मिनट (13) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि— छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 25 सन् 2025) पर विचार किया जाये।
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।
- 1 घंटा (14) श्री ओ.पी. चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि— छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 (क्रमांक 26 सन् 2025) पर विचार किया जाये।
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।
- 30 मिनट (15) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगी कि— छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 27 सन् 2025) पर विचार किया जाये।
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

5. अशासकीय संकल्प

- 30 मिनट (1) श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी :—
यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "छत्तीसगढ़ में निवासरत भुंजिया विशेष पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के जिला गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद व पाण्डो जनजाति सरगुजा और बलरामपुर जिलों में निवासरत जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति की केन्द्रीय सूची में शामिल किया जाय।"
- 30 मिनट (2) श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :—
सदन का यह मत है कि "प्रसंस्कृत अनाज (पक्का माल) के विक्रय हेतु अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता समाप्त की जाय।"

रायपुर,
दिनांक 17 जुलाई, 2025

दिनेश शर्मा,
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.